भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 2265

दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अरूणाचल प्रदेश से संबंधित भारतीय नागरिक का उत्पीड़न

2265. श्री के.ई. प्रकाश;

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्राप्त रिपोर्टों की जानकारी है जिसमें अरूणाचल प्रदेश में जन्मी एक भारतीय नागिरक को शंघाई विमानपत्तन पर अपने जन्म-स्थान के उल्लेख के कारण हिरासत में लिया गया और कथित रूप से उत्पीड़ित किया गया, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के संबंध में चीन के साथ तुरंत कोई कूटनीतिक कार्रवाई की है और अरूणाचल प्रदेश के भारत अभिन्न भाग होने पर प्रश्न उठाने के किसी भी प्रयास का औपचारिक विरोध किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने और कुछ देशों द्ववारा भेदभावपूर्ण व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ग) सरकार को उस घटना की जानकारी है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में जन्मे एक भारतीय नागरिक को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनमाने ढंग से रोक लिया गया था। भारतीय नागरिक के पास वैध पासपोर्ट था और वह सियोल (दक्षिण कोरिया) होते हुए टोक्यो (जापान) जाने के लिए शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजर रहा था।

भारतीय नागरिक की हिरासत का मुद्दा नई दिल्ली और बीजिंग, दोनों जगहों पर चीनी पक्ष के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया गया है। सरकार ने चीनी पक्ष के समक्ष अपनी स्थिति दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और यह एक निर्विवाद तथ्य है।

सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय दूतावास और केंद्र विदेश में भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रिय घटना पर कड़ी निगरानी रखते हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत संबंधित विदेशी देश के अधिकारियों को दी जाती है। विदेश में स्थित भारतीय दूतावास/केंद्र आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करते हैं।

*****